बद्री राय एवं एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य

18 अगस्त, 1958

(बी. पी. सिन्हा एवं जाफर इमाम, न्यायमूर्ति गण)

साक्ष्य—लोक सेवक को रिश्वत देने की साज़िश—सह-षड्यंत्रकारी के कथन—कब एक-दूसरे के विरुद्ध स्वीकार्य होते हैं—भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम 45), धाराएँ 120 बी, 165 ए—भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 10।

अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 165 ए के अधीन इस आरोप में अभियोजन चलाया गया कि उन्होंने एक लोक सेवक को, उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में, रिश्वत देने के अपराध के लिए आपराधिक साज़िश की। उनके विरुद्ध मामला यह था कि 24 अगस्त, 1953 को, जब एक ऐसे प्रकरण की जांच के प्रभारी पुलिस निरीक्षक, जिसमें द्वितीय अपीलकर्ता संलिप्त था, थाना जाने के मार्ग में थे, तब अपीलकर्ताओं ने उन्हें रास्ते में रोका और द्वितीय अपीलकर्ता ने उनसे मूल्यवान प्रतिफल के लिए मामले को दबाने का आग्रह किया। कुछ दिनों बाद, 31 अगस्त को, प्रथम अपीलकर्ता ने निरीक्षक को थाना पर 500 रुपये के नोटों से भरी एक गड्डी देने की पेशकश कीऔर उसे बताया कि दूसरे अपीलकर्ता ने 24 अगस्त को उससे हुई बातचीत के अनुसार, मामले को दबाने के बदले में उसके माध्यम से पैसे भेजे थे। निचली अदालतों ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया। विशेष अनुमति से अपील में यह तर्क दिया गया कि अदालत के पास यह मानने का कोई उचित आधार नहीं था कि अपीलकर्ताओं ने अपराध करने की साजिश रची थी और 31 अगस्त का बयान दूसरे अपीलकर्ता के खिलाफ स्वीकार्य नहीं था क्योंकि (1) धारा 120 बी के तहत आरोप जानबूझकर इसलिए जोड़ा गया था ताकि एक का कृत्य या बयान दूसरे के खिलाफ स्वीकार्य हो सके, और (2) साजिश का उद्देश्य, अर्थात् चुप कराने के लिए पैसे का भुगतान, प्रश्नगत बयान दिए जाने से पहले ही पूरा हो चुका था।

अभिनिर्धारित, (1) कि 24 अगस्त की घटना इस बात का साक्ष्य थी कि अपराध करने का आशय, जो दोनों अपीलकर्ताओं द्वारा उस तिथि या उससे पूर्व ही मन में बना लिया

गया था, साज़िश के अस्तित्व का स्पष्ट संकेत देता है, और यह कि 31 अगस्त को प्रथम अपीलकर्ता द्वारा किया गया कथन न केवल यह सिद्ध करने के लिए स्वीकार्य था कि द्वितीय अपीलकर्ता ने अपराध के निष्पादन में प्रथम अपीलकर्ता को अपना अभिकर्ता बनाया था, बल्कि साज़िश के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भी; अतः न्यायालय धारा 120बी के साथ धारा 165ए के अधीन आरोप तय करने में उचित था।

(2) कि रिश्वत का भुगतान तथा 31 अगस्त का उससे संबद्ध कथन, दोनों एक ही लेन-देन का हिस्सा थे, क्योंकि वे साज़िश के क्रम में किए गए थे; अतः उक्त कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्वीकार्य था।

मिर्ज़ा अकबर बनाम सम्राट (1940) एल.आर. 67 आई.ए. 336 तथा *आर. बनाम ब्लेक* (1844) 6 क्यू.बी. 126, पर आश्रित।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1956 की दाण्डिक अपील संख्या 79।

विशेष अनुमति द्वारा अपील, दिनांक 7 सितम्बर, 1955 के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश से, जो दाण्डिक अपील संख्या 370 सन् 1954 में पारित हुआ था, जो स्वयं दिनांक 26 जुलाई, 1954 के विशेष न्यायाधीश, भागलपुर द्वारा विशेष वाद संख्या 14 सन् 1954 में पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत हुआ था।

बी. आर. एल. अय्यंगार, अपीलकर्ता संख्या 1 की ओर से।

एस. पी. सिन्हा एवं पी. सी. अग्रवाल, अपीलकर्ता संख्या 2 की ओर से।

आर. सी. प्रसाद, उत्तरदाता की ओर से।

18 अगस्त, 1958। न्यायालय का निर्णय **सिन्हा, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया—

यह विशेष अनुमति द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध निर्देशित है, जिनमें दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी सहपठित धारा 165ए के अधीन दोषसिद्ध किया गया तथा उन्हें 18 माह के सश्रम कारावास और प्रत्येक को ₹200 के अर्थदंड से दंडित किया गया, तथा अर्थदंड के भुगतान में चूक होने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास निर्धारित किया गया। प्रथम अपीलकर्ता बद्री के संबंध में धारा 165ए के अधीन पृथक दोषसिद्धि भी अभिलिखित की गई है। इस

आधार पर उसे 18 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है, और यह दंड सामान्य आरोप के अंतर्गत दी गई सजा के साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलक्षित तथ्य, जिन्हें हमारे समक्ष सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकी, इस प्रकार हैं: द्वितीय अपीलकर्ता रामजी सोनार पेशे से एक स्वर्णकार है और वह नौगछिया ग्राम की मुख्य सड़क पर एक दुकान चलाता है। उस ग्राम में एक पुलिस थाना स्थित है और उक्त दुकान थाना भवन तथा उस पुलिस निरीक्षक के आवासीय क्वार्टरों के बीच स्थित है, जो इस प्रकरण में प्रथम सूचनादाता था, जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त रूप में अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि एवं दंडादेश हुए। प्रथम अपीलकर्ता बद्री उसी ग्राम में छोटे बच्चों के लिए एक विद्यालय चलाता है, जो द्वितीय अपीलकर्ता की उपर्युक्त दुकान से लगभग 50 गज की दूरी पर स्थित है। 22 अगस्त, 1953 को, प्रथम सूचनादाता, जो पुलिस निरीक्षक के पद पर रहते हुए उस थाना के प्रभारी थे, ने द्वितीय अपीलकर्ता रामजी के घर के सामने स्थित एक खाली भवन से कुछ आभूषणों तथा गलाए हुए चाँदी को जब्त किया। ये आभूषण दूर-दूर के स्थानों से आए छह अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, गलाने के औज़ारों के साथ, गलाए जा रहे थे, जिन्हें कथित रूप से रामजी ने उपलब्ध कराया था। यह जब्ती इस संदेह के आधार पर की गई कि उक्त आभूषण तथा गलायी हुई चाँदी चोरी की संपत्ति थी, जिन्हें रामजी को इस प्रकार के रूप में बेचा जाना था कि उनका किसी चोरी की संपत्ति से पहचान न हो सके। इस प्रकार जब्ती-सूची तैयार करने के पश्चात् पुलिस अधिकारी ने रामजी तथा उन अन्य छह अज्ञात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। रामजी को उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके पश्चात् मामले की पुलिस जांच प्रारंभ हुई। इसी अवधि में, 24 अगस्त, 1953 को लगभग सायं 7.30 बजे, जब निरीक्षक अपने आवासीय क्वार्टरों से थाना की ओर जा रहे थे, तब दोनों अपीलकर्ताओं ने उन्हें मार्ग में रोका और रामजी ने उनसे मूल्यवान प्रतिफल के बदले मामले को दबाने का अनुरोध किया। निरीक्षक ने उनसे कहा कि वे मार्ग में उनसे बात नहीं कर सकते और उन्हें बाद में थाना आना चाहिए। तत्पश्चात् निरीक्षक ने इस घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (अभियोजन साक्षी 8), तथा उसी थाना के उप-निरीक्षक, अभियोजन साक्षी 9, को दी। उसी वर्ष 31 अगस्त को, प्रथम अपीलकर्ता बद्री थाना आया, निरीक्षक से थाना के केंद्रीय कक्ष में मिला और उन्हें पुराने समाचारपत्र में लिपटा हुआ ₹500 के मुद्रा नोटों का एक पैकेट देने की पेशकश की। उसने निरीक्षक (अभियोजन साक्षी 1) से कहा कि द्वितीय अपीलकर्ता रामजी ने 24 अगस्त की संध्या को हुई बातचीत के अनुसरण में, रामजी के विरुद्ध लंबित मामले को दबाने के प्रतिफल के रूप में,

उसके माध्यम से यह राशि भेजी है। जब यह प्रस्ताव किया गया, उस समय एक स्थानीय व्यापारी (अभियोजन साक्षी 7) सहित कई पुलिस अधिकारी वहाँ उपस्थित थे। निरीक्षक ने तत्काल अपने कथन के आधार पर रिश्वत की पेशकश के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन तैयार किया और प्रस्तुत की गई राशि की जब्ती-सूची बनाई, तथा तत्क्षण बद्री को गिरफ्तार कर उसे थाना के लॉक-अप में निरुद्ध कर दिया। नियमित अन्वेषण के पश्चात् अपीलकर्ताओं को विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त रूप में निर्णय हुआ।

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन का मामला, जिसका संक्षेप ऊपर दिया जा चुका है, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है, तथा यह कि प्रतिरक्षा का यह कथन कि अभियोजन द्वेषवश आरंभ किया गया था और रामजी की अवैध गिरफ्तारी के परिणामों से स्वयं को बचाने के लिए निरीक्षक द्वारा यह कार्य किया गया, निराधार है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, जिसे अधीनस्थ न्यायालयों ने स्वीकार किया है, के संबंध में की गई तीव्र आलोचना से हम प्रभावित नहीं हैं। सामान्यतः यह न्यायालय तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता।

इस अपील में उठाया गया एकमात्र गंभीर प्रश्न द्वितीय अपीलकर्ता रामजी की ओर से उठाया गया है, अर्थात् क्या 31 अगस्त, 1953 को प्रथम अपीलकर्ता बद्री द्वारा दिया गया वह कथन, जिसमें उसने कहा कि उसे द्वितीय अपीलकर्ता द्वारा पुलिस अधिकारी को रिश्वत के रूप में धन देने के लिए भेजा गया था, उसके विरुद्ध स्वीकार्य था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उस साक्ष्य के स्वीकार्य होने के विरुद्ध अपने आपत्तियों के आधारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे, जबकि वही साक्ष्य दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप का आधार है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 इस प्रतिवाद का पूर्ण उत्तर प्रदान करती है। उक्त धारा इस प्रकार है:—

"10. जहाँ यह विश्वास करने के लिए युक्तिसंगत आधार हो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने किसी अपराध या किसी दंडनीय कृत्य को करने के लिए साजिश की है, वहाँ उनमें से किसी एक द्वारा उनकी समान अभिप्राय के संदर्भ में कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात, उस समय के पश्चात् जब ऐसा अभिप्राय उनमें से किसी एक द्वारा प्रथम बार धारण किया गया था, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रासंगिक तथ्य है जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह साजिश में संलग्न था, चाहे वह साजिश के अस्तित्व को सिद्ध करने के उद्देश्य से हो अथवा यह दिखाने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति उसका पक्षकार था।"

24 अगस्त की घटना, जब दोनों अपीलकर्ताओं ने निरीक्षक के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह द्वितीय अपीलकर्ता के विरुद्ध लंबित मामले को दबा दे, जिसके लिए उसे पर्याप्त प्रतिफल दिया जाएगा, इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों व्यक्तियों ने लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में रिश्वत देने के अपराध के लिए आपराधिक साज़िश की थी। अतः इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि न्यायालय के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तिसंगत आधार था कि अपीलकर्ताओं ने उक्त अपराध करने के लिए साज़िश की थी। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के अधीन आरोप दोनों के विरुद्ध विधिपूर्वक आरोपित किया गया था। ऐसी स्थिति में, दोनों अपीलकर्ताओं में से किसी एक द्वारा, समान अभिप्राय—अर्थात् रिश्वत देने की साज़िश—के संदर्भ में कही गई या की गई कोई भी बात, दोनों के विरुद्ध समान रूप से स्वीकार्य थी। 31 अगस्त को प्रथम अपीलकर्ता द्वारा किया गया कथन, कि उसे द्वितीय अपीलकर्ता द्वारा उस समय अन्वेषणाधीन मामले को दबाने के उद्देश्य से रिश्वत की पेशकश करने हेतु भेजा गया था, न केवल उस कथन के कर्ता —प्रथम अपीलकर्ता—के विरुद्ध स्वीकार्य है, बल्कि द्वितीय अपीलकर्ता के विरुद्ध भी स्वीकार्य है, जिसका वह उक्त साज़िश के उद्देश्य की पूर्ति में अभिकर्ता था। यह कथन न केवल इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए स्वीकार्य है कि द्वितीय अपीलकर्ता ने अपराध के निष्पादन में प्रथम अपीलकर्ता को अपना अभिकर्ता नियुक्त किया था, बल्कि स्वयं साज़िश के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भी स्वीकार्य है। 24 अगस्त की घटना इस बात का साक्ष्य है कि अपराध करने का आशय दोनों द्वारा उस तिथि या उससे पूर्व ही धारण कर लिया गया था। उस तिथि के पश्चात् और जब तक साज़िश का उद्देश्य पूरा नहीं हो गया, उस अवधि के दौरान दोनों साज़िशकर्ताओं में से किसी एक द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात, दोनों के विरुद्ध साक्ष्य है।

यह तर्क द्वितीय अपीलकर्ता की ओर से हल्के रूप में प्रस्तुत किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के अधीन आरोप अभियोजन द्वारा जानबूझकर इस उद्देश्य से जोड़ा गया था कि 31 अगस्त को प्रथम अपीलकर्ता का कथन द्वितीय अपीलकर्ता के विरुद्ध स्वीकार्य बनाया जा सके, अन्यथा वह उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था। जैसा कि हम पहले ही इंगित कर चुके हैं, 24 अगस्त की घटना साज़िश के अस्तित्व का स्पष्ट संकेत है, और न्यायालय धारा 120बी के अधीन आरोप निर्धारित करने में पूर्णतः न्यायसंगत था। यह विधि में कोई उत्तर नहीं है कि जब तक उस धारा के अधीन आरोप निर्धारित न किया गया हो, तब तक एक का कृत्य या कथन दूसरे के विरुद्ध स्वीकार्य

नहीं हो सकता। यह कहना विधि की दृष्टि से कोई उत्तर नहीं है कि जब तक उस धारा के अधीन आरोप निर्धारित न किया गया हो, तब तक एक का कृत्य या कथन दूसरे के विरुद्ध स्वीकार्य नहीं हो सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 को विशेष रूप से इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है कि सह-साज़िशकर्ता के ऐसे कृत्य और कथन, अपराध की प्रकृति के कारण, समस्त साजिशकर्ताओं के विरुद्ध स्वीकार्य बनाए जा सकें। साज़िश सामान्यतः गोपनीयता में रची जाती है और अंधकार में क्रियान्वित होती है। स्वाभाविक रूप से, इसलिए अभियोजन के लिए प्रत्येक पृथक कृत्य या कथन को अन्य व्यक्तियों के कृत्यों या कथनों से जोड़ना संभव नहीं होता, जब तक कि उन्हें परस्पर जोड़ने वाला कोई सामान्य बंधन न हो। सामान्यतः, विशेषकर आपराधिक मामलों में, एक व्यक्ति को दूसरे के कृत्यों या कथनों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह केवल तब संभव है जब किसी अपराध को करने के लिए समान अभिप्राय के अनुसरण में संयुक्त क्रिया का साक्ष्य हो; तभी विधि ने इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार साज़िश में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी का अभिकर्ता माना जाता है। जैसे ही न्यायालय के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तिसंगत आधार हो जाता है कि अनेक व्यक्तियों के बीच हितों की एकता या उद्देश्य की समानता विद्यमान है, तब उनमें से किसी एक द्वारा किया गया कोई भी कृत्य या कथन, यदि उसका साज़िश के उद्देश्य से संबंध हो, स्वाभाविक रूप से अन्य सभी साज़िशकर्ताओं का कृत्य या कथन माना जाता है। अन्यथा, गोपनीयता में रचे गए उद्देश्य की पूर्ति में अंधकार में किए गए पृथक कृत्य, यदि उन्हें जोड़ने वाले सामान्य उद्देश्य का संदर्भ न लिया जाए, तो बोधगम्य नहीं हो सकते; अथवा साज़िश के प्रत्येक सदस्य से संबंधित अवैध कृत्य या त्रुटियाँ व्यक्तिगत रूप से निर्धारित करना कठिन हो जाएगा।

यह भी प्रतिपादित किया गया कि 31 अगस्त को प्रथम अपीलकर्ता द्वारा किया गया कथन, जो भुगतान के उद्देश्य से संबंधित था और जो भुगतान के पश्चात् किया गया था, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उक्त साज़िश का उद्देश्य उस कथन के किए जाने से पूर्व ही पूर्ण हो चुका था। इस संदर्भ में *मिर्ज़ा अकबर बनाम सम्राट*[1] में न्यायिक समिति के निर्णय पर भरोसा किया गया। किन्तु वह निर्णय स्वयं ही उठाए गए इस प्रतिपादन का उत्तर प्रदान करता है। भुगतान किया गया था, और यह कथन कि यह भुगतान द्वितीय अपीलकर्ता के विरुद्ध मामले को दबाने के उद्देश्य से किया जा रहा था, उसी लेन-देन का भाग था; अर्थात् यह कथन रिश्वत के भुगतान के कृत्य के साथ-साथ किया गया था। अतः यह

---

1 (1940) एल.आर. 67 आई.ए. 336.

नहीं कहा जा सकता कि उक्त कथन साज़िश के उद्देश्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात् किया गया था। साज़िश का उद्देश्य उस दाण्डिक मामले को दबाना था जो द्वितीय अपीलकर्ता के विरुद्ध लंबित था, और यह कार्य उस लोक सेवक को रिश्वत देकर किया जाना था जो उस मामले की जांच का प्रभारी था। साज़िश का उद्देश्य उस समय से बहुत दूर तक पूर्ण नहीं हुआ था जब यह कथन किया गया। इस विषय पर प्रमुख निर्णय *आर. बनाम ब्लेक*[1]) है। उक्त निर्णय इस प्रश्न के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पक्षों के लिए प्रामाणिक है। उसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि क्या स्वीकार्य है और क्या स्वीकार्य नहीं है। उसमें यह भी अभिधारित किया गया कि वे अभिलेख जो वास्तव में साज़िश के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किए गए थे, स्वीकार्य हैं, जबकि वे अभिलेख जो साज़िश के उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात् किसी साज़िशकर्ता द्वारा तैयार किए गए थे, स्वीकार्य नहीं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में प्रश्नगत कथन प्रथम अपीलकर्ता द्वारा साज़िश के क्रम में किया गया था और धन के भुगतान के कृत्य के साथ-साथ किया गया था, और इस प्रकार यह धारा 10 के उपबंधों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आता है। अतः यह माना जाना चाहिए कि इस अपील में उठाए गए एकमात्र विधिक प्रश्न में कोई सार नहीं है। तदनुसार, इसे निरस्त किया जाता है।

अपील निरस्त।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

1 (1844) 6 क्यू.बी. 126; 115 ई.आर. 49.